भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, (पुराना मिंटो रोड),
नई दिल्ली – 110002

संख्या 2–चालक (2)/2004 प्र0 एव का (भाग–1) **दिनांकः 17 अक्तूबर, 2018**

कार्यालय आदेश

जबकि, श्री ओम प्रकाश गिरि, जोकि भादूविप्रा संवर्ग में वाहन चालक के पद पर तैनात हैं, पर निम्नलिखित आरोप की मदों के लिए इस कार्यालय के दिनांक 22 फरवरी, 2018 के ज्ञापन संख्या 2–ड्राइवर (2)/2004–ए एंड पी (भाग) के माध्यम से केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के **नियम 14** के तहत निम्नलिखित आरोप अधिरोपित किए गए थेः

मद.1 श्री ओम प्रकाश गिरि, वाहन चालक ने अवकाश हेतु तीन आवेदन दिए थे (1) एक दिन का अर्जित अवकाश अर्थात् 23 मई, 2017 के लिए (2) व्यक्तिगत कार्य को दर्शाते हुए दिनांक 24 मई से 29 मई, 2017 तक छह दिनों का अर्जित अवकाश और तत्पश्चात् (3) ''मुझे अपना ऋण चुकाने के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए अपने गृह राज्य जाना है'' का उल्लेख करते हुए दिनाक 30 मई, 2017 से 09 जून, 2017 तक ग्यारह दिनों का अर्जित अवकाश। अवकाश की समाप्ति पर श्री गिरि द्वारा कार्यालय में कार्यग्रहण किया जाना अपेक्षित था, परंतु वे बिना प्राधिकार/अवकाश हेतु अनुमोदन प्राप्त किए आज तक *(22 फरवरी, 2018)* ड्यूटी से अनुपस्थित रहे/कार्य पर नहीं आए। यह मूल नियम 17(1) के परंतुक, मूल नियम 17–क, केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 का उल्लंघन है।

अपने उपर्युक्त कृत्यों से श्री ओम प्रकाश गिरि, वाहन चालक संपूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में असफल रहे हैं तथा उन्होंने इस प्रकार कार्य किया है जो किसी सरकारी सेवक से अपेक्षित नहीं है और इस प्रकार उन्होंने केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(iii) और नियम 17 के उपबंधों का उल्लंघन किया है।

2. **और जबकि**, चूंकि श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित थे, इसलिए दिनांक 22 फरवरी, 2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2–ड्राइवर (2)/2004–एएंडपी (पीटी) को उनके आवासीय पते *(बी–14, टाईप–2, बी0एस0एन0एल0 स्टॉफ क्वार्टर, विवेक विहार, दिल्ली–110095)* पर स्पीड पोस्ट द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति से 10 दिनों के अंदर अपने बचाव में एक लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने, के निदेश के साथ भेजा गया था। इस ज्ञापन में यह भी जानकारी दी गई थी कि ''कि केवल आरोप की उन मदों के संबंध में एक जांच की जाएगी, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है'' लेकिन श्री ओम प्रकाश गिरि से कोई उत्तर प्राप्त नही हुई ।

3. **इसलिए,** केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के उप–नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने श्री जी0 एस0 पंवार, उप सलाहकार(सी0ए0) को उक्त श्री ओम प्रकाश गिरि, वाहन चालक, पर लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया साथ ही उक्त नियम के नियम 14 के उप–नियम (5)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त मामले में श्री कुन्दन कुमार–1, सहायक को प्रेजेटिंग अधिकारी नियुक्त किया।

पृष्ठ संख्या 2 पर जारी

4. **और जबकि,** जांच अधिकारी (आईओ) ने उपर्युक्त मामले में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 में अंतर्विष्ट प्रक्रिया तथा उपबंधों के अनुसार, जांच करने के पश्चात् दिनांक 20 अगस्त, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि:

प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा की गई जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि श्री गिरि ने दिनांक 10.06.2017 से आज तक अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रह कर, मूल नियम 17(1), मूल नियम 17–क, केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं(आचरण) नियमावली, 1964 के उपबंधों का उल्लंघन किया है। इस प्रकार, श्री ओम प्रकाश गिरि ने अपने कृत्यों से केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(iii) के उपबंधों का उल्लंघन कर, एक ऐसा कृत्य किया है जो कि सरकारी सेवक से अपेक्षित नहीं है।

'दिवालियापन तथा आदतन कर्जदारी' और चल अचल सम्पत्ति के लेन–देन' से संबंधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 17 तथा नियम 18(3) के उपबंध के उल्लंघन के संबंध में, जैसा कि आरोप की मद के पैरा–2 में उल्लिखित है, के संबंध में प्रजेंटिंग अधिकारी द्वारा यह सूचित किया गया कि उक्त आरोप, जांच की विषयवस्तु नहीं हैं। तदनुसार, इस जांच में श्री गिरि पर केन्द्रीय सिविल सेवा (अचारण) नियमावली, 1964 के नियम 17 तथा नियम 18(3) के उपबंध का उल्लंघन करने के आरोपों की जांच नहीं की गई तथा यह जांच आरोपित कार्मिक की अप्राधिकृत अनुपस्थिति तथा तत्संबंधी उपबंधों के उल्लंघन तक ही सीमित रही।

5. **और जबकि,** जांच अधिकारी की रिपोर्ट को श्री ओम प्रकाश गिरि को दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के ज्ञापन के माध्यम से स्पीड़ पोस्ट द्वारा और साथ ही साथ विशेष संदेशवाहक के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया गया, परंतु इसे उन तक पहुंचाया नहीं जा सका क्योंकि इस कार्यालय को श्री ओम प्रकाश गिरि के पता ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके साथ ही साथ, उन्हें एक उपर्युक्त अवसर प्रदान करने के लिए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से रांची, झारखंड स्थित गृह नगर के ज्ञात पते पर नोटिस भेजने के साथ ही साथ दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को ही उनके निवास स्थान के दरवाजे पर नोटिस चस्पा किया गया। नोटिस में स्पष्टरूप से निदेश दिया गया था कि श्री गिरि, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अर्थात् सचिव, भादूविप्रा से जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करे और अपना लिखित अभ्यावेदन अथवा निवेदन, यदि कोई हों तो, को **15 दिनों के अंदर** प्रस्तुत कर सकते हैं।''

6. **और जबकि,** मामले को निर्णय लेने के लिए मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। मैंने, श्री ओम प्रकाश गिरि, जोकि भादूविप्रा में वाहन चालक के पद पर तैनात हैं, के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबद्ध फाइल तथा जांच रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। मैं, इस बात से आश्वस्त हूं कि कार्मिक, अर्थात्, श्री ओम प्रकाश गिरि, जोकि भादूविप्रा में वाहन चालक के पद पर तैनात हैं, को जांच अधिकारी की रिपोर्ट के विरूद्ध अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। मैंने, यह भी पाया कि भादूविप्रा में वाहन चालक के पद पर तैनात, श्री ओम प्रकाश गिरि, को अनेक अवसर प्रदान करने के बावजूद, अब तक उनसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

पृष्ठ संख्या 3 पर जारी

7. **और जबकि,** उपर्युक्त उल्लिखित तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर, मेरा यह दृढ़ मत है कि भादूविप्रा में वाहन चालक के पद पर तैनात, श्री ओम प्रकाश गिरि ने एफआर–17(1), एफआर 17–क, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अवकाश) नियमावली, 1972, तथा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3(1)(iii) का उल्लंघन किया है।

8. **इसलिए,** मैं, एस0 के0 गुप्ता, सचिव, भादूविप्रा, नियुक्ति/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के फलस्वरूप केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 तथा अन्य सांविधिक नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश पारित करता हूं :–

"श्री ओम प्रकाश गिरि, ड्राइवर को प्राधिकरण की सेवा से हटाया जाता है।"

9. **और अब इसलिए,** यह आदेश दिया जाता है कि श्री ओम प्रकाश गिरि, वाहन चालक को तत्काल प्रभाव से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) की सेवा से हटाया जाता है, जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी।

16/10/2018

(एस0के0 गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

श्री ओम प्रकाश गिरि,
पुत्र श्री सीता राम गिरि
मकान नंबर 101, पुराना ए0जी0 कॉलोनी, कर्डू
रांची–834002, झारखंड

प्रतिलिपिः- संयुक्त सलाहकार (आईटी) को इस आदेश को भादूविप्रा के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

(1) संयुक्त सलाहकार(एफ एंड ईए)/(प्रशिक्षण)/(समन्वय)/(पीआर)/सीपीआईओ, भादूविप्रा।
(2) सचिव (सीपीएफ), न्यास, भादूविप्रा
(3) उप सलाहकार (जीए) (एफ एंड ईए), भादूविप्रा
(4) एसआरओ (जीए)/(वाणिज्यिक)/ सीएपीआईओ/(आईटी)/(पुस्तकालय)/(वित्त), भादूविप्रा
(5) टीओ (आईए)/(एमआर एंड आरटीआई)/एसओ (ओएल)/स्वागत डेस्क

17/10/2018

उप सलाहकार (एच आर)